


कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—: आदेश :-

प्रशाखा द्वारा निर्गत पत्रों में पत्र संख्या के साथ संचिका संख्या/वर्ष आदि अंकित नहीं किए जाते हैं। साथ ही, हस्ताक्षर पैड में उपस्थापित पत्र आदि की भी स्थिति यथावत् रहती है।

अतः निदेश दिया जाता है कि सभी पत्र आदि संबंधित संचिका में उपस्थापित किये जाये। विशेष परिस्थिति में डाक पैड में उपस्थापित पत्रादि में संचिका संख्या/वर्ष आदि अवश्य अंकित किया जाय।

सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रधान लिपिक इसे सुनिश्चित करायेंगे।


(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता
किशनगंज।

ज्ञापांक 1390/सी., किशनगंज, दिनांक 21.12.2013


प्रतिलिपि :: सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, विभागीय जॉंच/निदेशक, डी.आर. डी.ए./एन.ई.पी./जिला पंचायत राज पदा./सिविल सर्जन/जिला नीलाम पत्र पदा./जिला शिक्षा पदाधिकारी/सचिव, जिला शहरी विकास अभिकरण/वरीय उप समाहर्ता, जिला सामान्य/गोपनीय/विधि/जिला विकास प्रशाखा/एम.एस.डी.पी./राजस्व/जिला सामाजिक सुरक्षा/जिला आपदा/कोषागार पदा./जिला अवर निबंधक/जिला योजना पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदा./उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आई.टी. प्रबंधक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल हेतु प्रेषित।


(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।